

Hindu Kanya Mahavidyalaya, Jind

NAAC Accredited



2020-21

Prospectus

Ph. : 01681-256263
www.hkmvjind.com
email : hkmvjind@gmail.com

विषयानुक्रमणिका

1.	महाविद्यालय - परिचय एवं परिवार	2
2.	Various Committees and Cells	5
3.	Add-On-Courses	6
4.	Hobby Classes	6
5.	Fees Payment Schedule	6
6.	Fine	7
7.	Scholarships & Stipends	8
8.	सम्मान एवं पुरस्कार सम्मान पात्रता	10
9.	परीक्षा, शैक्षणिक एवं विनिवृत्ति संबंधी नियम	10
10.	अवकाश संबंधी नियम	11
11.	Mentorship and Tutorials	11
12.	परिषदे एवं खेल-कूद	11
13.	पुस्तकालय संबंधी नियम	12
14.	Leave Application Form	
15.	Admission Form for Add-On-Courses	
16.	Mentor's Form	

हिन्दू कन्या महाविद्यालय

प्रगति के इस युग में स्त्री शिक्षा की बढ़ती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एवं जिला जीन्द निवासियों की स्त्री शिक्षा सम्बन्धी अभिलाषा की पूर्ति के लिए ही इस महाविद्यालय की स्थापना 1970 में की गई। आज यह महाविद्यालय अपने शैक्षणिक जीवन के 50 वर्ष पूरे कर चुका है। यह महाविद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र से सम्बद्ध है। इस महाविद्यालय में केवल लड़कियों की पढ़ाई की व्यवस्था है एवं प्राध्यापकगण भी महिलाएँ ही हैं। अपने सीमित साधनों से यह धीरे-धीरे उन्नति के पथ पर अग्रसर होता हुआ एक आदर्श संस्था के रूप में उभर रहा है।

इस महाविद्यालय का विशाल भवन स्कीम नं. 5 में विद्यापीठ मार्ग पर स्थित है, जो कोलाहलपूर्ण वातावरण से दूर है। सुयोग्य प्राध्यापिका वर्ग तथा उनका मार्गदर्शन तथा प्राध्यापिकाओं एवं छात्राओं में अपूर्व स्नेह सम्बन्ध इस महाविद्यालय के विशेष आकर्षण हैं।

महाविद्यालय में कला संकाय एवं वाणिज्य संकाय, विज्ञान संकाय, बी.एस.सी. (नॉन-मैडिकल), बी.एस.सी. (कम्प्यूटर साईंस), मैथेमेटिक्स (ऑनर्ज), कम्प्यूटर साईंस, आई.टी., फैशन डिजाईनिंग, कम्प्यूटर शिक्षा के अध्यापन की सुव्यवस्था है। जिन कला संकाय विषयों की व्यवस्था है, वे इस प्रकार हैं - हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेज़ी, गणित, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, संगीत (गायन), संगीत (वादन), समाज शास्त्र, लोक प्रशासन, होम साईंस, कम्प्यूटर साईंस, गणित (ऑनर्ज), भूगोल। एम.कॉम., एम.ए. इतिहास एवं एम.एस.सी. (गणित) की भी सुविधा उपलब्ध है।

महाविद्यालय का अपना एक समृद्ध पूर्णतया: कम्प्यूटरीकृत [SOUL (2.0) वर्जन] पुस्तकालय है, जिसमें अध्ययन के प्रत्येक विषय से सम्बन्धित पुस्तकें उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त एक बुक बैंक की भी व्यवस्था है। इस बैंक में से निर्धन छात्राओं को पढ़ाई के लिए पुस्तकें दी जाती हैं। विद्यार्थियों के लिए कम्प्यूटर की सुविधा भी उपलब्ध है। पूर्णतया: कम्प्यूटर संचालित नवनिर्मित पुस्तकालय सुचारु रूप से कार्यरत है।

महाविद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षा की भी व्यवस्था है। जिसके अन्तर्गत आधुनिक तकनीक से सुसज्जित 5 कम्प्यूटराइज्ड लैब कार्यशील है, एक भव्य ऑडिटोरियम का भी निर्माण हो चुका है।

विवाहित छात्राओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 'चाईल्ड केयर सेंटर' की व्यवस्था है। जिसमें शिशुओं के रख-रखाव की पूरी सुविधा उपलब्ध है। अब छात्राओं को घरेलू परिस्थितिवश पढ़ाई छोड़ने या लंबा अवकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

महाविद्यालय परिवार

कार्यवाहक प्राचार्या श्रीमती अनिता (एम.एस.सी., गृह विज्ञान)

कला संकाय

1. अंग्रेजी विभाग :

1. डॉ. (श्रीमती) गीता गुप्ता, एम.ए., एम.फिल्., नैट (जे.आर.एफ.), पी.एच.डी. (विभागाध्यक्षा)
2. श्रीमती अंजलि गुप्ता, एम.ए., स्लैट
3. डॉ. (सुश्री) अंशु सेलपर, एम.ए., एम.फिल्., नैट, पी.एच.डी.
4. डॉ. (श्रीमती) सीमा दलाल, एम.ए., एम.फिल्., नैट, पी.एच.डी.
5. रिक्त
6. रिक्त

2. हिन्दी विभाग :

1. डॉ. (सुश्री) सुधा, बी.ए. (ऑनर्ज़), एम.ए., एम.फिल्., पी.एच.डी. (विभागाध्यक्षा)
2. डॉ. (श्रीमती) पूनम काजल, एम.ए., बी.एड., एम.फिल्., पी.एच.डी., स्लैट, पी.जी. डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन
3. डॉ. (श्रीमती) सुषमा गर्ग, एम.ए., एम.फिल्., नैट, पी.एच.डी.

3. संस्कृत विभाग :

1. डॉ. (श्रीमती) नीलम रानी, एम.ए., एम.फिल्., नैट, पी.एच.डी.

4. गणित विभाग :

1. श्रीमती अंजू, एम.एस.सी., एम.फिल्., नैट (जे.आर.एफ.)
2. रिक्त

5. अर्थशास्त्र विभाग :

1. डॉ. (सुश्री) प्रियंका साहनी, एम.ए., एम.फिल्., नैट, पी.एच.डी.
2. रिक्त

6. राजनीतिशास्त्र विभाग :

1. श्रीमती नीलम, बी.ए. (ऑनर्ज़), बी.एड., एम.ए., एम.फिल्., नैट, स्लैट
2. श्रीमती क्रांति, एम.ए., एम.फिल्., नैट

7. गृह विज्ञान विभाग :

1. श्रीमती अनिता, एम.एस.सी. (विभागाध्यक्षा)
2. रिक्त
3. श्रीमती बेबी रानी मित्तल बी.ए., बी.एड., डिप्लोमा डी.एन.एच.ई., एम.ए. (लैब स्टॉफ)

8. इतिहास विभाग :

1. डॉ. (श्रीमती) रश्मि, एम.ए., बी.एड., पी.एच.डी.

9. संगीत (वाद्य) विभाग :

1. श्रीमती आरती सैनी, एम.ए., नैट
2. श्रीमती रमन - तबला वादक

10. संगीत (गायन) विभाग :

1. डॉ. (श्रीमती) क्यूटी, एम.ए. एम.फिल्. (गोल्ड मैडलिस्ट),
पी.एच.डी., नैट, स्लैट, पी.जी.डी.सी.ए. (डिप्लोमा), डिप्लोमा रीजनिंग (विभागाध्यक्षा)
2. श्री प्रवीण - तबला मास्टर

11. शारीरिक शिक्षा :

1. रिक्त

12. समाजशास्त्र विभाग (Self Finance)

13. लोक प्रशासन विभाग (Self Finance)

14. भूगोल विभाग (Self Finance)

15. कम्प्यूटर साईंस (Self Finance)

वाणिज्य संकाय

1. वाणिज्य विभाग :

1. डॉ. (श्रीमती) उपासना, एम.कॉम., पी.एच.डी., नैट (विभागाध्यक्षा)
2. डॉ. (श्रीमती) सुषमा हुड्डा एम.कॉम., एम.एड., एम.फिल्., पी.एच.डी.
3. श्रीमती रेखा सैनी, एम.कॉम., स्लैट

विज्ञान संकाय

1. विज्ञान विभाग :

1. भौतिक शास्त्र (रिक्त)
2. रसायन शास्त्र (रिक्त)

पुस्तकालय

1. पुस्तकालय :

1. डॉ. (श्रीमती) पिकी मोर, एम.ए. अंग्रेजी, एम.लिब., एम.फिल्., पी.एच.डी.

कार्यालय स्टाफ

1. श्रीमती शशि धवन, लिपिक
2. श्री यशपाल, लिपिक
3. श्री जसबीर काजल, लिपिक

Various Committees and Cells

1.	Student Welfare, Advisory & Discipline Committee	:	Dr. Sudha Malhotra
2.	Youth Welfare Club	:	Dr. Keauty
3.	Time Table Committee	:	Mrs. Anju
4.	N.S.S.	:	Dr. Neelam Rani
5.	Legal Literacy Cell	:	Dr. Sushma Hooda
6.	Scholarship Committee	:	Mrs. Rekha Saini
7.	Bursar	:	Dr. Sudha Malhotra
8.	Red Cross	:	Dr. Punam Kajal
9.	Career Counseling & Placement Cell	:	Mrs. Neelam
10.	Anti Corruption Cell	:	Dr. Upasana
11.	Grievances Cell	:	Dr. Geeta Gupta
12.	Voter's Card & Election Committee	:	Mrs. Kranti
13.	Alumni Association	:	Dr. Punam Kajal
14.	I-Card of College	:	Mrs. Rekha Saini
15.	Road Safety Club	:	Dr. Keauty
16.	Entrepreneurship Club	:	Mrs. Neelam
17.	Women Cell	:	Dr. Sushma Hooda
18.	Red Ribbon Club	:	Dr. Anshu
19.	Fashion Designing	:	Mrs. Anita (Principal)
20.	Information Technology	:	Mrs. Anju Gupta
21.	Anti Sexual Harassment Committee	:	Mrs. Anjali Gupta
22.	Anti Ragging	:	Dr. Geeta Gupta
23.	Eco Club & Gardening Club	:	Dr. Seema
24.	Art & Culture	:	Dr. Keauty
25.	Personal Counseling Cell	:	Dr. Upasana Garg
26.	Equal Opportunity Club	:	Mrs. Neelam
27.	College Cleanliness Committee	:	Dr. Sudha Malhotra
28.	Canteen Committee	:	Dr. Upasana Garg
29.	Chief Tutor	:	Dr. Sudha Malhotra
30.	Magazine Committee	:	Dr. Sudha Malhotra
31.	Standing Committee on Programme for SC/ST	:	Mrs. Neelam
32.	B.Sc. (Non-Medical)	:	Dr. Geeta Gupta
33.	Sports	:	Dr. Rashmi
34.	College Beautification Committee	:	Dr. Punam Kajal
35.	Public Information Officer	:	Mrs. Rekha Saini
36.	Student Counseling Committee	:	Dr. Sushma Hooda
37.	Committee for Students Mental Health & Well Being	:	Dr. Sudha Malhotra
38.	IQAC	:	Dr. Sushma Hooda

ADD-ON-COURSES (CAREER-ORIENTED)

Fashion Designing : 40 Seats

Information Technology : 80 Seats

महाविद्यालय के नियमित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त **Add-on-course** के अन्तर्गत विद्यार्थी स्नातक के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में **Fashion Designing** तथा **Information Technology** में प्रवेश ले सकता है। इसके लिए विद्यार्थियों को अतिरिक्त फीस देनी होगी। प्रथम वर्ष के बाद सर्टिफिकेट कोर्स, दो वर्ष के बाद डिप्लोमा कोर्स और तीन वर्ष के बाद **Advance Diploma Course** का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। स्नातक कक्षा की किसी भी वर्ष की छात्रा इसमें प्रवेश ले सकती है।

HOBBY CLASSES

जो छात्राएं **Hobby Classes** के लिए इच्छुक हैं वे इन गतिविधियों में प्रवेश ले सकती हैं :-

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. Cutting & Tailoring | 2. Mehandi |
| 3. Rangoli | 4. Sketching |
| 5. Pot decoration | 6. Cooking |
| 7. Embroidery | 8. 'C' Languages |

कक्षाएँ अगस्त से प्रारम्भ होगी। छात्राओं की संख्या कम से कम **20** होने पर कोर्स प्रारम्भ होगा।

दण्ड (Fines)

1. **Environment Studies** का पेपर यदि प्रथम वर्ष में नहीं दिया तो 500/- रुपये दण्ड भरना होगा।
2. **Computer Compulsory** का पेपर न देने पर या फेल होने पर छात्रा को अगले वर्ष फीस भी दोबारा देनी होगी एवं कक्षाएं भी लगानी होंगी।
3. फीस समय पर न देना : फीस की अदायगी प्राचार्या द्वारा नियमित महीनों की तिथियों के अनुसार करनी होगी, अन्यथा प्रतिदिन दस रुपये की दर से जुर्माना किया जाएगा। जो विद्यार्थी निश्चित महीने के अखिरी दिन तक फीस तथा जुर्माना जमा नहीं करवाते उनका नाम काट दिया जाता है। नाम काटना और पुनः प्रवेश के बीच के अन्तराल में दिए गए व्याख्यानों की कमी का उत्तरदायित्व विद्यार्थी का होगा।
4. अनुशासन भंग करना/दुर्व्यवहार करना : महाविद्यालय का अनुशासन भंग करने एवं प्राध्यापिका वर्ग और महाविद्यालय के अन्य कर्मचारी वर्ग के प्रति अशिष्टतापूर्ण व्यवहार करने वाली और परीक्षा में नकल करने वाली छात्राओं को दंड दिया जाएगा। धनराशि प्राचार्या के निर्णय पर आधारित होगी।
5. कॉलेज की सम्पत्ति को हानि पहुँचाना : कॉलेज की सम्पत्ति को किसी प्रकार की हानि पहुँचाने वाली छात्रा को दंड दिया जाएगा, जिसकी राशि हानि की मात्रा पर निर्भर होगी।
6. महाविद्यालय में मोबाईल का प्रयोग करना सख्त मना है।
7. महाविद्यालय में दाखिला लेने के बाद छात्राओं को पहचान-पत्र दिया जाएगा। पहचान-पत्र के बिना महाविद्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। महाविद्यालय प्रांगण में बिना पहचान-पत्र के पाई जाने वाली छात्राओं को जुर्माना किया जाएगा।
8. प्राचार्या के कार्यालय के बाहर शोर करने वाली छात्राओं को दण्डित किया जाता है।
9. साईकिल/स्कूटर शैड में रखें, बिना फीस दिए यदि कोई छात्रा साईकिल/स्कूटर लाती है तो लाने वाली छात्रा को क्रमशः 500/- रुपये जुर्माना देना होगा। साईकिल/स्कूटर चोरी होने पर या क्षतिग्रस्त होने पर वे स्वयं जिम्मेवार होंगी।
10. छात्राओं का कर्तव्य है कि वे महाविद्यालय के प्रांगण को स्वच्छ रखें व फूल न तोड़ें। फूल तोड़ने व गंदगी फैलाने वाली छात्राओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यावाही की जाएगी व जुर्माना भी किया जाएगा।

विशेष : किसी भी छात्रा को संगीत विभाग से सितार, तबला, हारमोनियम अथवा कोई भी वाद्ययन्त्र घर में प्रयोग करने के लिए नहीं दिया जाएगा एवं साथ ही यदि कोई छात्रा किसी भी वाद्य यन्त्र को तोड़ती है तो उसकी पूरी राशि उसे महाविद्यालय को देनी होगी।

Scholarships & Stipends

इस कॉलेज के विद्यार्थियों को निम्न प्रकार से सरकारी वजीफे तथा स्थानीय महानुभावों की ओर से दिये गये वजीफे उपलब्ध हैं :-

- 1. अनुसूचित-जातियों व जन-जातियों के विद्यार्थियों के लिए हरियाणा सरकार की ओर से दी जाने वाली छात्रवृत्तियाँ :-**
ये छात्रवृत्तियाँ हरियाणा की अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्ध रखने वाले विद्यार्थियों को निम्नलिखित शर्तों के साथ दी जाती हैं :-
 - (क) अनुसूचित जाति/जनजाति से होने का प्रमाण-पत्र आवश्यक है।
 - (ख) माता-पिता की आय का प्रमाण-पत्र।
 - (ग) माता-पिता की आय **2,50,000/-** (दो लाख पचास हजार) रुपये वार्षिक से अधिक न हो।
 - (घ) सरकारी नौकरी करने वालों के लिए डी.डी.ओ. की ओर से आय का प्रमाण-पत्र जरूरी देना है। प्राइवेट सर्विस करने वालों के लिए एस.डी.एम. की ओर से आय का प्रमाण-पत्र जरूरी है।
 - (ङ) दाखिले के समय सारी फीस ली जायेगी। बाद में **Online** फार्म भरने पर राशि छात्रा के खाते में आएगी।
 - (च) फार्म **Online** भरे जाते हैं।
- 2. पिछड़े वर्ग की छात्राओं के लिए छात्रवृत्तियाँ :-** ये छात्रवृत्तियाँ हरियाणा सरकार की ओर से पिछड़े वर्ग से सम्बन्ध रखने वाले को निम्नलिखित शर्तों के साथ दी जाती हैं -
 - (क) पिछड़े वर्ग का नाम तथा हरियाणा वासी होने का प्रमाण-पत्र आवश्यक है।
 - (ख) माता-पिता की आय सीमा **1,00,000/-** रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए।
 - (ग) सरकारी कर्मचारी होने पर आय प्रमाण-पत्र डी.डी.ओ. से और प्राइवेट सर्विस से एस.डी.एम. से लेना आवश्यक है।
 - (घ) जिनके माता-पिता या अभिभावक कृषि का कार्य करते हैं, वे गाँव के सरपंच से भी आय का प्रमाण-पत्र लेकर दे सकते हैं।
 - (ङ) वे विद्यार्थी जिनकी पिछली कक्षा में कम्पार्टमेंट आई हो, वे इस वजीफे के पात्र नहीं होंगे। सितम्बर में कम्पार्टमेंट उत्तीर्ण कर लेने पर वह फिर से छात्रवृत्ति के पात्र होंगे।
- 3. Lower Income Group Scholarships (Haryana State) -** हरियाणा सरकार द्वारा निर्धन छात्रों को सभी कक्षाओं में यह छात्रवृत्तियाँ समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा छात्रवृत्ति परिवर्तित नियमों द्वारा देय होगी :
 - (क) छात्र हरियाणा का रहने वाला हो, उसका प्रमाण-पत्र दें।
 - (ख) माता-पिता की आय **1,00,000/-** रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 4. D.S.D. & Army Board Scholarships -**
 - (क) यह छात्रवृत्ति भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए सरकार की ओर से उपलब्ध है।
 - (ख) छात्र के अंक कम से कम **50%** होने आवश्यक हैं।
- 5. Scholarships for Physically Handicapped Students -**
 - (क) विकलांग छात्रा को विकलांग होने का जिला के **C.M.O.** का प्रमाण-पत्र देना होगा।
 - (ख) माता-पिता की आय सभी साधनों से **1,00,000/-** रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। आय का प्रमाण-पत्र देना होगा।
- 6. National Scholarships -**
 - (क) यह छात्रवृत्ति मैट्रिक तथा **10+2** परीक्षा के आधार पर निर्धारित होती है।
 - (ख) छात्र के अंक मैट्रिक में **75%** से कम न हों।
 - (ग) जो विद्यार्थी मैट्रिक या **10+2** परीक्षा के आधार पर राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति प्राप्त कर लेता है। उसे अगली कक्षा में भी यह छात्रवृत्ति मिलती रहेगी। बशर्ते वह प्रत्येक कक्षा में **50%** अंक लेता रहे, इस तरह के पात्र विद्यार्थी अपनी **Progress Report** भरकर तथा प्रमाणित अंक-सूचि साथ लगाकर कार्यालय में नियत समय तक अवश्य जमा करवा दें।

7. State Merit Scholarship -

- (क) हरियाणा का निवासी छात्र इसका अधिकारी है।
 - (ख) छात्र के अंक 60% से कम न हो।
 - (ग) जो विद्यार्थी मैट्रिक या 10+2 परीक्षा के आधार पर राज्य योग्यता छात्रवृत्ति प्राप्त कर लेता है। उसे अगली कक्षा में भी यह छात्रवृत्ति मिलती रहेगी। बशर्ते वह प्रत्येक कक्षा में 50% अंक लेता रहे, इस तरह के पात्र विद्यार्थी अपनी Progress Report भरकर तथा प्रमाणित अंक-सूचि साथ लगाकर कार्यालय में नियत समय तक अवश्य जमा करवा दें।
8. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित विद्यार्थियों के लिए 10वीं के बाद छात्रवृत्ति :- यह स्कीम भारत सरकार द्वारा उन एस.सी./एस.टी. विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा पूर्ण करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए चालू की गई है जो कि 10वीं के बाद शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस स्कीम के तहत उन विद्यार्थियों जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय दो लाख या इससे कम हैं, को 300/- रुपये तक प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस स्कीम के तहत नवीकरण छात्रवृत्ति भी दी जाती है।
9. पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों की भलाई के लिए 10वीं के पश्चात् छात्रवृत्ति :- इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा में रहने वाले पिछड़ी जाति के तहत ऐसे पिछड़े वर्ग विद्यार्थी जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 1,00,000/- रुपये हो, को स्टार्टअप, ट्यूशन और परीक्षा फीस का भुगतान किया जाता है। इस स्कीम के तहत नवीकरण छात्रवृत्ति भी दी जाती है।
10. हरियाणा राज्य मैरिट छात्रवृत्तियाँ (कोई आय सीमा नहीं) :- इस स्कीम के तहत हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के 10+2 के मैरिट परिणाम के आधार पर 500 विद्यार्थियों को रुपये 3600/- प्रति छात्र प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति दी जाती है। सम्बन्धित संस्था के द्वारा योग्य छात्रों के फार्म निदेशालय को भेजे जाते हैं और इसी स्कीम के तहत बी.ए. III/बी.कॉम. III/बी.एस.सी. III/एम.ए./बी.एड./एम.एस.सी. II/एम.कॉम. II/सम्बन्धित विश्वविद्यालय के परिणाम के आधार पर 205 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस स्कीम के तहत नवीकरण छात्रवृत्ति भी दी जाती है।
11. अल्प आय वर्ग हेतु छात्रवृत्ति योजना :- इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य समाज के उन अल्प आय वर्ग के विद्यार्थियों को सहायता पहुँचाना है जो कि सरकार की वित्तीय मदद के बिना अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे विद्यार्थी जिनके माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय 2,00,000/- रुपये हो, वे इस योजना के अर्न्तगत आते हैं।

विशेष नोट :-

1. विद्यार्थी को केवल एक ही छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।
2. सरकारी/अर्धसरकारी कर्मचारी अपनी आय का प्रमाण-पत्र विवरण सहित जिसमें उस वर्ष का मूल वेतन, मंहगाई भत्ता, अन्तरिम सहायता तथा मकान किराया भत्ता बिना किसी कटौती के ही हो का प्रमाण-पत्र अपने विभाग से लेकर देंगे।
3. विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर परिवर्तित नियमों द्वारा देय होगी।
4. करता राम मोदी मैमोरियल ट्रस्ट (रजि.), जीन्द के चेयरमैन : डॉ. सतीश गुप्ता सुपुत्र श्री रामेश्वरदास गुप्ता द्वारा (विद्या देवी मैमोरियल छात्रवृत्ति) B.A. I, B.A. II, B.Com. I, B.Com. II, B.Sc. I और B.Sc. II कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 1100/- रुपये की राशि तथा एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है।
5. स्वर्गीय श्रीमती हरशरणजीत कौर, प्राध्यापिका संस्कृत, के पति द्वारा उनकी याद में संचालित हरशरणजीत कौर मैमोरियल ट्रस्ट द्वारा बी.ए. प्रथम और द्वितीय वर्ष में संस्कृत विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को प्रति वर्ष 2500/- वार्षिक छात्रवृत्ति दी जायेगी।
बी.ए. तृतीय वर्ष में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को पदक प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बी.ए. प्रथम और द्वितीय वर्ष की उन दो गरीब छात्राओं को पूरे वर्ष की फीस माफ की जायेगी जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करती हों।
(क) 10+2/B.A.I में श्रेष्ठ अंक प्राप्त किए हों।
(ख) 10+2/B.A.I में संस्कृत विषय में भी अच्छे अंक प्राप्त किये हों।
(ग) B.A.I में संस्कृत विषय लिया हो।
6. स्वतन्त्रता सेनानी स्वर्गीय श्री बाबा लालसिंह की स्मृति में हिन्दी में प्रथम और द्वितीय वर्ष में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा।

विभिन्न सम्मान एवं पुरस्कार सम्मान पात्रता

यह सर्वोच्च सम्मान उस विद्यार्थी को दिया जायेगा -

- (क) जिसका नाम विश्वविद्यालय पत्रिका योग्यता सूची में हो।
- (ख) जो राष्ट्रीय खेलों अथवा अन्तः विश्वविद्यालय खेलों में राज्य अथवा विश्वविद्यालय टीम का सदस्य हो।
- (ग) अन्तः क्षेत्रीय विश्वविद्यालय स्तरीय युवक समारोह में अभिशस्ति पत्र (**Recommendation Certificate**) प्राप्त किया हो।
- (घ) जो विश्वविद्यालय स्तर की खेलकूद अथवा सांस्कृतिक प्रतियोगिता में विजयी दल का सदस्य हो।

विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने की शर्तें

अपनी श्रेणी के परीक्षा विषयों में पूर्ण व्याख्यानों में से 75 प्रतिशत की उपस्थिति होना प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अनिवार्य है। व्याख्यानों की संख्या परीक्षा तैयारी अवकाश (**Preparatory Holidays**) के आरम्भ होने तक गिनी जाएगी। **Internal Assesment 20 marks** की होगी। **10 Assignment** के और **5 Attendance** तथा **5 Test** के होंगे। यदि 6 दिन तक छात्रा कक्षा में नहीं आएगी तो उसका नाम काट दिया जाएगा।

सभी छात्राओं के लिए गृह परीक्षा में बैठना और विश्वविद्यालय की शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है क्योंकि इसी आधार पर उन्हें विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। जिन छात्राओं के **Medical Certificate** के बाद प्राचार्या ने परीक्षा की अनुमति दे दी हो उनका ही **Test** दोबारा लिया जाएगा।

शैक्षणिक

विश्वविद्यालय परीक्षा में कार्य निष्पादन के आधार पर प्रतिवर्ष अपनी कक्षा के पूर्ण योग तथा प्रत्येक विषय में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुस्तकों के रूप में पुरस्कार दिए जाते हैं, परन्तु इनके लिए शर्त यह है कि -

- (क) यदि किसी कक्षा में दस अथवा दस से कम विद्यार्थी होंगे तो उसके लिए केवल एक पुरस्कार मिलेगा।
- (ख) यदि किसी कक्षा में 11 से 100 के बीच विद्यार्थी हो तो दो पुरस्कार होंगे और 100 से अधिक के लिए तीन पुरस्कार होंगे।
- (ग) किसी विषय विशेष में पुरस्कार जीतने के लिए विद्यार्थी को उसमें कम से कम 55 प्रतिशत अंक अवश्य प्राप्त करने होंगे और अलग विषयों में स्पष्टतः उत्तीर्ण होना होगा।
- (घ) यदि किसी विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी उपर्युक्त 'ग' खंड की निर्धारित शर्त पूरी नहीं करता है तो उसके बाद उच्चतम अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी जो इस शर्त को पूरी करता है, पुरस्कार का पात्र समझा जायेगा।

विनिवृत्ति (Withdrawal)

जो छात्रा कॉलेज छोड़ना चाहती है उसे तदर्थ आवेदन पत्र देना होगा और यह सब उसके माता-पिता या अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित (**Counter Signed**) होना चाहिए, कॉलेज को जो भी देय होगा उसका भुगतान होने पर ही विनिवृत्ति प्रमाण-पत्र (**College Leaving/Discharge Certificate**) दिया जाएगा।

अवकाश, सम्बन्धी नियम

जो विद्यार्थी छुट्टी लेना चाहते हैं, उन्हें निम्नलिखित नियमों को ध्यान में रखना चाहिये :-

1. अवकाश पर जाने से पहले निर्धारित फार्म पर आवेदन देना होगा। आवेदन पत्र की प्रति जिसमें 10 आवेदन फार्म है, सभी छात्राओं को कार्यालय से लेनी अनिवार्य है।
 2. ग्रुप ट्यूटर तीन दिन तक की और सीनियर ट्यूटर सात दिन तक की छुट्टी प्रदान कर सकता है। इससे अधिक अवकाश की स्वीकृति प्राचार्य द्वारा दी जायेगी।
 3. एक या दो पीरियड की छुट्टी सम्बन्धित प्राध्यापक द्वारा दी जायेगी।
 4. चार दिन से अधिक बीमारी की छुट्टी केवल स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही स्वीकृत की जा सकती है।
 5. स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया होना चाहिए।
- नोट - बिना छुट्टी (बिना विशेष कारण के) लगातार 7 कार्यदिवस (Working Days) महाविद्यालय से अनुपस्थित रहने वाली छात्रा का नाम काट दिया जायेगा, भले ही उसने अपनी फीस आदि जमा करवा रखी हो।
- नोट - नाम कटने के एक सप्ताह के अन्तराल में छात्रा पुनः दाखिले के लिए फीस दे सकती है। यदि एक सप्ताह तक वह पुनः दाखिला नहीं लेती तो उसका नाम स्थायी रूप से काट दिया जाएगा।

Mentorship & Tutorials

महाविद्यालय में Mentorship & Tutorials वर्ग की व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत पुराने और नव प्रवेश प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को किसी एक वर्ग में रखा जाता है तथा प्रत्येक वर्ग का भार एक प्राध्यापिका को सौंपा जाता है जो एक पथ प्रदर्शक के रूप में और मन्त्रणाकार के रूप में कार्य करते हुए अपने वर्ग की छात्राओं के साथ व्यक्तिगत और सामूहिक सम्पर्क स्थापित करती है। सीनियर ट्यूटर छात्राओं के वर्ग को नियमित करती है। एक वर्ग के दूसरे वर्ग में स्थानान्तरण करने की आज्ञा नहीं दी जाती। Mentorship & Tutorials वर्ग की बैठक में अनुपस्थित रहने वाली छात्रा को जुर्माना भी लगेगा। प्रधानाचार्या और मुख्य ट्यूटर को दिए जाने वाले सभी प्रकार के आवेदक पत्र ट्यूटर द्वारा (Attested) सत्यापित होने चाहिए और उनमें विद्यार्थी की कक्षा, क्रमांक संख्या और ट्यूटोरियल वर्ग संख्या देनी चाहिए।

परिषदें

कॉलेज में निम्नलिखित परिषदें कार्य कर रही हैं -

1. अंग्रेजी साहित्य परिषद्।
2. हिन्दी साहित्य परिषद्।
3. संस्कृत साहित्य परिषद्।
4. संगीत परिषद्।
5. सोशल साईंस परिषद्।
6. युवक कल्याण परिषद्।
7. कॉमर्स परिषद्।
8. गृह विज्ञान परिषद्।
9. गणित परिषद्।
10. कम्प्यूटर परिषद्।
11. भूगोल परिषद्।
12. विज्ञान परिषद्।

विशेष : महाविद्यालय के समस्त कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु प्राचार्या को यह अधिकार है कि वह विश्वविद्यालय के नियमानुसार या अपने विवेक से किसी भी समय किसी भी नियम में संशोधन एवं परिवर्तन कर सकती है। प्राचार्य का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।

खेल-कूद

महाविद्यालय में फेन्सिंग, कबड्डी, हैंडबाल, बेसबाल, सॉफ्ट बॉल, खो-खो, लोन टेनिस, नेट बॉल, फुटबाल, बास्केट बॉल, हॉकी, किक बॉक्सिंग इत्यादि खेलों के लिए सुविधाएँ व प्रशिक्षण दिया जाता है।

पुस्तकालय

पुस्तकालय में पूर्ण शांति रखना आवश्यक है जिससे पढ़ने वालों के ध्यान में विघ्न न पड़े। पुस्तकों और समाचार-पत्रों पर निशानी नहीं लगाई जानी चाहिए और न ही उनमें से कोई पृष्ठ फाड़ना चाहिए। ऐसा करने वाले दण्डनीय होंगे।

पुस्तकालय से पुस्तकें लेने के नियम -

1. निम्नलिखित वर्ग को पुस्तकालय से पुस्तक लेने का अधिकार है -
(क) कॉलेज की प्राध्यापिका मण्डल (ख) कॉलेज की छात्राएँ (ग) कॉलेज के अन्य कर्मचारी।
2. छात्राएँ 14 दिन तक पुस्तकें रख सकती हैं। लम्बे अवकाश से पहले सभी पुस्तकें लौटा देनी होंगी।
3. छात्राओं की पुस्तकें वापिस करने में विलम्ब होने पर 1/- रूपये प्रतिदिन प्रति पुस्तक के हिसाब से जुर्माना देना होगा।
4. प्रत्येक छात्रा पुस्तकालय से ली गई पुस्तक की स्वच्छता के लिए उत्तरदायी होगी। यदि पुस्तक लेते समय किसी प्रकार का कोई दोष दिखाई दे तो उसी समय पुस्तकालयाध्यक्ष को दिखा दें।
5. पुस्तक की किसी प्रकार की हानि होने पर सम्बन्धित छात्रा को उस पुस्तक की क्षतिपूर्ति करनी होगी। पुस्तक के खो जाने पर उसकी कीमत जमा करवानी होगी।
6. विविध श्रेणियों की छात्राओं को पुस्तकों की अधिक से अधिक संख्या जो एक समय मिल सकती है वो इस प्रकार हैं - बी. ए./बी.कॉम./बी.एस.सी. (नॉन मैडिकल) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष - 3 पुस्तकें।
7. पत्रिकाओं के वर्तमान अंक (Current Issue) तथा समाचार पत्र वाचनालय से बाहर नहीं जा सकते।
8. निम्न प्रकार की पुस्तकें प्रिंसिपल की अनुमति के बिना कॉलेज से नहीं ली जा सकती -
 1. संदर्भ ग्रंथ कोष आदि।
 2. यूनिवर्सिटी द्वारा निश्चित पाठ्य-पुस्तक।
 3. आरक्षित (Reserved) पुस्तकें।
9. दाखिले के समय जमा करवायी गई Refundable Security कॉलेज छोड़ने के एक साल के अन्दर 31 मार्च तक ही वापिस की जाएगी, उसके बाद नहीं।

बुक बैंक

निर्धन छात्राओं की सुविधा के लिए बुक-बैंक की स्थापना की गई है। इस बुक-बैंक से छात्राएँ पाठ्य-पुस्तकें लेकर वर्षभर अध्ययन कर सकती हैं।

पुस्तकालय अभिज्ञान-पत्रक (Library Identity Card)

कॉलिज में प्रवेश पाने वाले सभी विद्यार्थियों को यह पत्रक दिया जाता है। यह लाइब्ररियन, ट्यूटर तथा प्राचार्या द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। यह पत्रक विद्यार्थी के पास सदैव रहना चाहिए। पुस्तकालय से जो पुस्तकें लेनी हों अथवा जमा करवानी हों पुस्तकालय अधिकारी को यह पत्रक देकर इन्दराज अवश्य करा लेनी चाहिए। यह पत्रक किसी दूसरे विद्यार्थी को नहीं दिया जा सकता। विद्यार्थी इस पत्रक की सुरक्षा तथा उसमें दर्ज पुस्तकों के लिए खुद उत्तरदायी होगा। लापरवाही से पत्रक गुम होने पर उसे पुनः जारी करना प्राचार्या के विवेकाधीन होगा और उसके लिए विद्यार्थी को कार्यालय में 100/- रूपये जमा करवाने होंगे।

कॉलिज पत्रिका “ज्ञान स्तम्भ”

कॉलिज पत्रिका वर्ष में एक बार प्रकाशित होगी। इसके सम्पादन मण्डल में प्राध्यापिकाएँ और छात्राएँ होगी। पत्रिकाओं में बहुतांश छात्राओं की रचनाएँ होगी। राजनैतिक व्यंग्य वर्जित है। इस प्रकार पत्रिका के द्वारा छात्राएँ हिन्दी, संस्कृत और अंग्रेजी के माध्यम से आत्मभिव्यक्ति कर सकती है। पत्रिका तैयार हो जाने पर पुस्तकालय से मिलेगी।

Leave Application Form

To

The Principal,
H.K.M.V.,
Jind

Sr. No.

Date

Signature of Clerk

Name :

Class :

Roll No. :

Date of Leave : From to

No. of Days :

Reason of Leave :

Signature of Parents/Guardians

Signature of Student

Signature of Tutor/Chief Tutor

Signature of Subject Concerned Lecturers

S.No. Subject

Signature

1.

.....

2.

.....

3.

.....

4.

.....

5.

.....

6.

.....

ADMISSION FORM FOR ADD ON COURSES
HINDU KANYA MAHAVIDYALAYA, JIND

Admission Form Add on Course (Under UGC Scheme)

Name of course Certificate/Diploma

Roll No. of course

Class in which studying Roll No.

Name

Father's Name

Date of Birth

Address

Phone No. E-mail

Particular of Last Examination :

Name of Class	University/Board	Year of Passing	Roll No.	Marks Obtained	Subject

Subjects in B.A.

Signature of Student

Signature of Father

For Office Use Only

Eligibility checked & allowed for admission

Convenor

Principal

Received Rs. Vide Receipt No. Dated

Hindu Kanya Mahavidyalaya, Jind

MENTORSHIP FORM

Student's
Passport Size
Photo

Group No.

Session : 20 - 20

1. Student's Name
2. Roll No.
3. Class
4. University Regn. No.
5. Date of Birth
6. Aadhar No.
7. Voter's Card No.
8. Blood Group
9. Category
10. Mobile No.
11. Marital Status
- Husband's Name Occupation Mobile No.
12. Medical History
13. Mode of Transport Vehicle Token No.
- Vehicle No. Driving License No.
14. Address
-
15. Email ID
17. Subject Offered i) ii)
- iii) iv)
- v) vi)
18. NCC/NSS/Sports/Cultural etc
19. Achievements
20. Interest/Hobbies
21. Aim of life
22. Your Strengths (Merits)
23. Weaknesses
24. Father's Name
- Occupation Mobile No.
25. Mother's Name
- Occupation Mobile No.
26. Brother's Name Qualification Mobile No.
- Brother's Name Qualification Mobile No.
- Brother's Name Qualification Mobile No.

27. Sister's Name Qualification Mobile No.
 Sister's Name Qualification Mobile No.
 Sister's Name Qualification Mobile No.

28. Friend's Name
 Class Roll No. Mobile No.
 Friend's Name
 Class Roll No. Mobile No.

29. Educational Qualification :-

Class	Roll No.	Year	Board/University	Max. Marks	Marks%
Matric					
10+2					
T.D.C. I - Sem. I					
- Sem. II					
T.D.C. II - Sem. III					
- Sem. IV					
T.D.C. III - Sem. V					
- Sem. VI					
P.G. (Previous) - Sem. I					
- Sem. II					

30. Time Table :-

Period	Subject	Room No.	Name of Lecturer
1st			
2nd			
3rd			
4th			
5th			
6th			
7th			
8th			
9th			

Mentor's Name :

Mentor's Signature

Student's Signature

ACADEMIC CALENDER 2020-21

It is notified for information of all concerned that the Competent Authority has approved the following Common Schedule of Academic Calender (UG & PG Courses only for Odd Semester i.e. 3rd & 5th) for the University teaching Departments and its affiliated Colleges for the Academic Session 2020-21.

FOR UNDER-GRADUATE COURSES

Event	Duration
1st Teaching Term (Odd Semester)	04.08.2020 to 12.11.2020
Vacation - I (Diwali)	13.11.2020 to 15.11.2020
2nd Teaching Term (Odd Semester)	16.11.2020 to 31.12.2020
Vacation - II	01.01.2021 to 07.01.2021
Examinations	08.01.2021 to 31.01.2021

FOR POST-GRADUATE COURSES

Event	Duration
1st Teaching Term (Odd Semester)	04.08.2020 to 12.11.2020
Vacation - I (Diwali)	13.11.2020 to 15.11.2020
2nd Teaching Term (Odd Semester)	16.11.2020 to 31.12.2020
Vacation - II	01.01.2021 to 07.01.2021
Examinations	08.01.2021 to 31.01.2021

Examinations be completed of each class within 25-30 days.

छात्राओं के लिए आचार संहिता

1. महाविद्यालय का आरम्भ प्रतिदिन सुबह प्रार्थना से होगा तथा 1:00 बजे तक किसी भी छात्रा को महाविद्यालय से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. छात्राओं से आशा की जाती है कि वे प्राध्यापिकाओं के मिलने पर उन्हें विधिवत प्रणाम करें एवं आदरपूर्वक व्यवहार करें।
3. महाविद्यालय में दाखिला लेने के बाद छात्राओं को पहचान-पत्र दिया जाएगा। पहचान-पत्र के बिना महाविद्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। महाविद्यालय प्रांगण में बिना पहचान-पत्र के पाई जाने वाली छात्राओं को जुर्माना किया जाएगा।
4. महाविद्यालय में समय-समय पर छात्राओं को प्राचार्या महोदया के आदेशों एवं निर्देशों से अवगत करवाने के लिए उचित स्थानों पर सूचना पट्ट लगे हूए हैं। प्रत्येक छात्रा का कर्तव्य है कि ऐसी सभी सूचनाओं की जानकारी स्वयं प्राप्त करें।
5. प्रत्येक छात्रा से आशा की जाती है कि वह जलपान गृह, पुस्तकालय, कक्षा तथा महाविद्यालय के प्रत्येक समारोह में अनुशासन से रहें तथा कक्षा में देर से न आएँ।
6. प्रत्येक छात्रा का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का समुचित सम्मान करें।
7. छात्रा यदि किसी भी कारण से किसी से झगड़ा करेगी तो उसे महाविद्यालय से निकाल दिया जाएगा।
8. छात्राओं को चाहिए की वे खाली समय में पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन करें। बरामदों में व्यर्थ घूमना या बातचीत करना अवांछनीय है।
9. प्राचार्या के कार्यालय के बाहर शोर करने वाली छात्राओं को दण्डित किया जाता है।
10. महाविद्यालय की दीवारों, फर्नीचर या ब्लैकबोर्ड पर कुछ भी लिखना अपराध है।
11. साईकिल/स्कूटर शैड में रखें, बिना फीस दिए यदि कोई छात्रा साईकिल/स्कूटर लाती है तो लाने वाली छात्रा को क्रमशः 500 रुपये जुर्माना देना होगा। साईकिल/स्कूटर चोरी होने पर या क्षतिग्रस्त होने पर वे स्वयं जिम्मेवार होंगी।
12. महाविद्यालय में प्रवेश करने व बाहर जाने के लिए जो द्वार एवं सड़क है उनका ही प्रयोग करें। लॉन एवं फूलों की क्यारियों के बीच से जाना मना है।
13. छात्राओं का कर्तव्य है कि वे महाविद्यालय के प्रांगण को स्वच्छ रखें व फूल न तोड़ें। फूल तोड़ने व गंदगी फैलाने वाली छात्राओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यावाही की जाएगी व जुर्माना भी किया जाएगा।
14. यदि कोई छात्रा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी ऐसे आन्दोलन में भाग लेगी अथवा महाविद्यालय की किसी अन्य छात्रा को किसी ऐसे कार्य में सम्मिलित होने के लिए उकसाएगी जो प्राचार्या की दृष्टि से महाविद्यालय के अनुशासन के विरुद्ध हो तो उसे प्राचार्या द्वारा दण्डित किया जा सकता है।
15. छात्राओं से आशा की जाती है कि वे शालीनता से एवं सादे परिधान में महाविद्यालय आएँ।
16. महाविद्यालय के किसी भी कमरे में खाना-पीना सख्त मना है।
17. एल्कोहल (शराब), तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट महाविद्यालय परिसर में लाना वर्जित है।
18. रैगिंग करना दण्डनीय अपराध है।
19. जेवर, नकदी या अन्य कोई कीमती सामान महाविद्यालय में ना लाएँ। इसके गुम हो जाने पर छात्रा स्वयं जिम्मेवार होंगी।
20. महाविद्यालय में मोबाईल का प्रयोग करना सख्त मना है। दोषी छात्रा को जुर्माना देना होगा और उसके खिलाफ सख्त कार्यावाही की जाएगी।